Annexure-1 12

Rajsthan Technical University, Kota

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय,कोटा

Rawatbhata Road, Akelgarh Kota - 324010
Ph No. -0744-2473903 Fax No. 0744-2473033

क्रमांक : एफ / (3) / लेखा / VIII वि.स. / 12 / 4329-38 दिनांक 18.8.12

....

वित्त समिति
राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय
कोटा।

विषय : वित्त समिति की अष्टम बैठक दिनांक 16 अगस्त, 2012 का कार्यवाही विवरण।

महोदय,

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय की वित्त समिति की अष्टम बैठक दिनांक 16 अगस्त, 2012 को कुलपति सचिवालय में आयोजित की गई थी। उक्त बैठक का कार्यवाही विवरण संलग्न कर भिजवाया जा रहा है।

भवदीय,

वित्त अधिकारी एवं सदस्य सचिव,
राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा।

क्रमांक : एफ. / (3) / लेखा / VI वि.स. / 11 दिनांक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2 प्रमुख शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3 निदेशक (विश्वविद्यालय अभियांत्रिकी महाविद्यालय) आर.टी.यू., कोटा।
4 निजी सहायक माननीय कुलपति महोदय
5 कुलसचिव, आर.टी.य., कोटा को प्रबन्ध मण्डल की बैठक में प्रस्तुत करने हेतु।

वित्त अधिकारी
राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा।

Rajasthan Technical University, Kota
राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा
Rawatbhata Road, Akelgarh Kota - 324010
Ph No.-0744-2473903 Fax No. 0744-2473033, e-mail ID financeofficerrtu@gmail.com

अष्टम वित्त समिति की बैठक दिनांक 16.08.2012 में उपस्थित सदस्यों की सूची

1	प्रो. आर. पी. यादव कुलपति राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा।	अध्यक्ष
2	श्री प्रीतम सिंह, सम्भागीय आयुक्त (सदस्य) वित्त विभाग राजस्थान सरकार जयपुर।	सदस्य
3	प्रो. ओ. पी. छंगानी प्रति कुलपति राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा।	सदस्य
4	श्री अम्बरीश मेहता कुलसचिव राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा।	सदस्य
5	प्रो. अनिल के. माथुर परीक्षा नियंत्रक राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा।	सदस्य
6	श्री एस. एन. शर्मा वित्त अधिकारी राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा	सदस्य सचिव

Rajasthan Technical University, Kota
राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय,कोटा
Rawatbhata Road, Akelgarh Kota - 324010
Ph No.-0744-2473903 Fax No. 0744-2473033

अष्टम वित्त समिति की बैठक दिनांक 16.08.2012 का कार्यवाही विवरण

वि.स.क्र. 8.1 : **वित्त समिति की सप्तम बैठक का कार्यवाही विवरण :–**

वित्त समिति की सप्तम बैठक दिनांक 28.01.2012 को प्रातः 11.30 बजे कुलपति सचिवालय सभा भवन में प्रो. आर. पी. यादव, कुलपति, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

सप्तम वित्त समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण जो कि पत्रांक F/(3)Accounts/VIIFC/12/10267-79 दिनांक 06.02.2012 द्वारा प्रसारित किया गया, परिशिष्ट–1 पृष्ठ संख्या 16 से 25 पर पुष्टि हेतु प्रस्तुत किया गया।

समिति द्वारा अवलोकन कर पुष्टि की गई।

वि.स.क्र. 8.2 : **सप्तम वित्त समिति की बैठक दिनांक 28.01.2012 में लिये गये निर्णयों का पालना प्रतिवेदन।**

सप्तम वित्त समिति की बैठक दिनांक 28.01.2012 में लिये गये निर्णयों का अनुमोदन प्रबंध बोर्ड की क्रमशः 13वीं एवं 14वीं बैठक दिनांक 31.03.2012 एवं 25.06.2012 में होने के आइटम उपरांत पालना प्रतिवेदन निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया।

समिति द्वारा प्रस्तुत पालना पर संतोष व्यक्त किया गया।

वि.स.क्र. 8.3 : **राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा एवं प्रबंध मंडल की बैठक के बिन्दु संख्या 14.13 के क्रम में नेनो टेक्नोलोजी हेतु बजट उपलब्ध करवाने के संबंध में।**

(निदेशक यू.सी.ई.)

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2012–13 की बजट घोषणा में राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय में नेनो टेक्नोलोजी के लिए एक सेंटर स्थापित करने की घोषणा की गई है। जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा कोई बजट स्वीकृत नहीं किया गया है। नेनो टैक्नोलेजी में एम.टेक. व रिसर्च प्रोग्राम्स के लिए

वर्ष 2012–13 में एक करोड़ रू. के बजट की आवश्यकता प्रतिपादित की गई जिसका विवरण परिशिष्ट 3 पृष्ठ संख्या 33 से 34 पर माननीय सदस्यों के विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया।

समिति द्वारा प्रस्तुत बजट प्रस्तावों पर सहमति व्यक्त करते हुए संशोधित बजट प्रस्ताव में शामिल करने के निर्देश दिये गये।

वि.स.क्र. 8.4 : **विकास शुल्क की राशि वसूली के संबंध में। (परीक्षा विभाग)**

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के पत्र क्रमांक आर.टी.यू. एफ(17)/एकेडमिक/1/4/06/7502–668 दिनांक 10.10.2007 द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार बी.टेक./बी.ई./बी.एच.एम.सी.टी./बी.आर्क. में प्रवेश लेने वाले छात्रों से प्रथम वर्ष में रू. 1000/– तथा आगामी कोर्स अवधि में रू. 500/– प्रति वर्ष एवं एम.बी.ए./एम.टेक./एम.सी.ए. के लिए रू. 500/– प्रति वर्ष की दर से विकास शुल्क निर्धारित किया गया है जिसे प्रति वर्ष कॉलेज द्वारा संग्रहित कर विश्वविद्यालय को भिजवाने का प्रावधान है किंतु महाविद्यालयों द्वारा विकास शुल्क की राशि समय पर विश्वविद्यालय में जमा नहीं कराने के कारण महालेखाकर द्वारा इस संबंध में अग्रिम पैरा (विकास शुल्क बकाया राशि रू. 7.66 करोड़) गठित किया गया है जिसके ड्राफ्ट पैरा में तब्दील किये जाने की संभावना/आशंका है।

अतः सम्पूर्ण पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित विकास शुल्क एक मुश्त राशि प्रति वर्ष प्रवेशित छात्रों के नामांकन (Enrollment) के साथ ही जमा करवाया जाना प्रस्तावित है।

माननीय सदस्यों के समक्ष प्रकरण विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

समिति द्वारा आवश्यक विचार विमर्श के उपरांत विकास शुल्क की राशि एक मुश्त वसूल करने/जमा कराये जाने पर सहमति व्यक्त की गई तथा बकाया विकास शुल्क की राशि की वसूली के लिए नियमानुसार आवश्यक/प्रभावी कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।

वि.स.क्र. 8.5 : **विश्वविद्यालय में अतिरिक्त कार्य हेतु नियुक्त संकाय सदस्यों को अतिरिक्त भत्ता दिये जाने के संबंध में। (निदेशक यू.सी.ई.)**

विश्वविद्यालय के संघटक अभियांत्रिकी महाविद्यालय के संकाय सदस्यों को शैक्षणिक कार्य के साथ साथ विभिन्न प्रकार के अतिरिक्त कार्य (चीफ वार्डन, प्रोक्टर, वार्डन, असिस्टेन्ट प्रोक्टर, पी.टी.पी., असिसटेंट पी.टी.पी. आदि) आवंटित किये जाते है। जिसके लिए निदेशक संघटक महाविद्यालय द्वारा निम्नानुसार अतिरिक्त भत्ता दिये जाने की मांग की है:–

1 चीफ वार्डन, चीफ प्रोक्टर, पी.टी.पी. रू. 1000/– प्रति माह
2 वार्डन, असिसटेंट प्रोक्टर/असिसटेंट पी.टी.पी रू. 750/– प्रति माह

प्रस्ताव माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ एवं विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

समिति द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन कर चीफ वार्डन/चीफ प्रोक्टर के लिए रू. 1000/– प्रति माह एवं वार्डन/प्रोक्टर हेतु रू. 600/– प्रति माह भत्ता दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

वि.स.क्र. 8.6 : रिसर्च बोर्ड एवं डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी की बैठकों में भाग लेने वाले सदस्यों को विभिन्न प्रकार के मानदेय के भुगतान एवं पी.एच.डी. प्रोग्राम संबंधी शुल्क/स्कॉलरशिप की दरों के निर्धारण के संबंध में।

(निदेशक यू.सी.ई.)

विश्वविद्यालय में अनुसंधान हेतु अनुसंधान बोर्ड, विभागीय रिसर्च समितियों की बैठकें आयोजित की जाती हैं। जिसमें भाग लेने वाले सदस्यों के लिए मानेदय/भत्ता एवं पी.एच.डी. प्रोग्राम संबंधी शुल्क/दरों के निर्धारण हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये है :–

1. अकादमिक कॉन्सिल के लिए स्वीकृत दरों के समतुल्य प्रति सदस्य रू. 700/– मानदेय (सिटिंग एलाउंस) तथा विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित दर से टेक्सी भाड़ा या रेल व बस से यात्रा करने पर वास्तविक व्यय के पनुर्भरण की अभिशंषा की गई है।
2. अनुसंधान केन्द्र के निरीक्षण हेतु सम्बद्धता निरीक्षण शुल्क के समान ही निरीक्षण शुल्क, मानदेय व यात्रा भत्ता का भुगतान।
3. प्रवेश परीक्षा हेतु एम.टेक. के लिए अनुमोदित दर के समान पेपर सेटिंग हेतु रू. 1200/– प्रति पेपर तथा उत्तर पुस्तिकाओं की जांच हेतु रू. 30/– प्रति उत्तर पुस्तिका न्यूनतम रू. 500/–
4. रजिस्ट्रेशन शुल्क रू. 500/– प्रति अभ्यार्थी (RTU DAT)
5. पी.एच.डी. प्रशस्ति राजस्थान विश्वविद्यालय की दरों के अनुरूप जो पृष्ठ संख्या ... पर अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।
6. विकास शुल्क प्रतिवर्ष 1000/– रू. प्रति अभ्यर्थी
7. रिसर्च हेतु प्रत्येक एम.टेक. प्रोग्राम से एक अभ्यार्थी को 8000/– रू. प्रतिमाह की स्कॉलरशिप

प्रस्ताव समिति के विचारार्थ पृष्ठ संख्या 37 एवं 38 पर प्रस्तुत किया गया।

समिति द्वारा सभी बिन्दुओं पर सहमति व्यक्त की गई एवं यह निर्णय लिया गया कि अनुसंधान केन्द्र के निरीक्षण हेतु केवल पी.एच.डी. योग्यताधारी को ही भेजा जावे। अनुसंधान पाठ्यकम अवधि 3 वर्ष के लिए रू. 1000/– प्रति वर्ष की दर से रू. 3000/– एक मुश्त वसूल करने की सहमति व्यक्त की गई तथा रिसर्च हेतु संघटक महाविद्यालय में

एम.टेक. के प्रत्येक पाठ्यक्रम हेतु (विद्यमान पाठ्यक्रमों के लिए) एक अभ्यर्थी को रू. 8000/- प्रति माह पी.एच.डी. स्कॉलरशिप प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।

वि.स.क्र. 8.7 : मैसर्स डाटामेशन (सेवा प्रदाता एजेंसी), नई दिल्ली को परीक्षा संबंधी कार्यो के बिलों के भुगतान के संबंध में। (परीक्षा विभाग)

मैसर्स डाटामेशन, नई दिल्ली को पूर्व में प्री एवं पोस्ट परीक्षा संबंधी संविदा कार्य आवंटित किया गया था। कार्यादेश की शर्तो के अनुसार संबंधित फर्म द्वारा पोस्ट परीक्षा कार्य समय पर निष्पादन नहीं करने के कारण फर्म पर शास्ति लगाई गई जिसकी राशि फर्म द्वारा प्रस्तुत बिलों की राशि से अधिक बनती है। दिनांक 20.06.2012 को आयोजित बैठक में उच्च क्रय समिति (HPC) द्वारा फर्म के प्री परीक्षा भुगतान हेतु अनुबंध की शर्तो के अन्तर्गत विलम्ब के लिए 10 प्रतिशत शास्ति, सेवा प्रदाता कम्पनी द्वारा की गई गलतियों के लिए रिस्क एण्ड कोस्ट पर उपगत व्यय की अंतर राशि की कटौती कर भुगतान योग्य राशि का 70 प्रतिशत (30% राशि रोकते हुए) भुगतान की अभिशंषा की गई तथा पोस्ट एग्जाम वर्क/अवशेष राशि के भुगतान के संबंध में मार्गदर्शन हेतु वित्त समिति में प्रकरण प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया था जो समिति के अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ पृष्ठ संख्या 39 से 40 पर प्रस्तुत किया गया।

समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों का अवलोकन कर उच्च क्रय समिति की अभिशंषानुसार प्री-परीक्षा के बिलों का भुगतान करने एवं उच्च क्रय समिति की बैठक में संवेदक से वार्ता कर संविदा एजेंसी के लम्बित बिलों के नियमानुसार भुगतान/निस्तारण करने के निर्देश दिये गये।

वि.स.क्र. 8.8 : उत्तर पुस्तिकाओं के लोडिंग एवं अनलोडिंग चार्जेज के भुगतान के संबंध में। (परीक्षा विभाग)

परीक्षा नियन्त्रक द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं को मूल्यांकन हेतु बाहर भेजने/वापस लाने हेतु राशि रू. 2/- प्रति पेकिट (लगभग 150 उत्तर पुस्तिकायें लोडिंग/अनलोडिंग चार्जेज दी दर निर्धारित है) परीक्षा नियंत्रक द्वारा वर्णित राशि को अपर्याप्त/अव्यावहारिक मानते हुए रू. 3/- प्रति पैकेट की दर से भुगतान करने की अनुशंषा की है जो समिति के सदस्यों के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

समिति द्वारा विचार विमर्श के उपरांत प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

वि.स.क्र. 8.9 : **परीक्षा कार्यो हेतु विराम भत्ते के भुगतान के संबंध में। (परीक्षा विभाग)**

पूर्व में वित्त समिति/प्रबंध मंडल द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार परीक्षा संबंधी कार्यो से यात्रा करने वाले कार्मिकों को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित विराम भत्ते का भुगतान किया जा रहा है किन्तु परीक्षा कार्य से यात्रा करने वाले कार्मिकों को उक्त विराम भत्ता खाने व ठहरने पर होने वाले व्यय की तुलना में अपर्याप्त तथा अव्यावहारिक मानते हुए परीक्षा नियन्त्रक द्वारा ठहरने हेतु अतिरिक्त राशि की मांग की गई है। राज्य सरकार द्वारा यात्रा भत्ता नियमों में जयपुर के लिए लोजिंग एवं बोर्डिंग की दरें निर्धारित है लेकिन अन्य शहरों के लिए लोजिंग एवं बोर्डिंग की दरें स्वीकृत/निर्धारित नहीं है। विश्वविद्यालय के शिक्षकों/कार्मिकों को राजकीय विश्राम गृहों/डाक बंगलों में ठहरने की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। अतः लोजिंग/बोर्डिंग के लिए जयपुर के लिए स्वीकृत दरों के अनुरूप राज्य में सभी स्थानों के लिए स्वीकृत किया जाना प्रस्तावित है। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर के आदेश पृष्ठ संख्या 43 पर अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

समिति द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन कर राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ6(3)एफ.डी./रूल्स/2012 दिनांक 08.05.2012 से APPENDIX iv (B) Rule 8(2) में जयपुर के लिए निर्धारित दरों के अनुरूप राज्य में स्थिति सभी जगहों पर दैनिक भत्ते की दरों की स्वीकृति दी गई।

वि.स.क्र. 8.10 : **विभिन्न महाविद्यालयों द्वारा गलत एवं मिथ्या सूचना प्रस्तुत करने पर शास्ति आरोपित किये जाने के संबंध में। (अकादमिक विभाग)**

महाविद्यालयों के नियमित एवं औचक निरीक्षण के दौरान यह पाया गया है कि उनके द्वारा सम्बद्धता के समय भरे गये "ऑनलाइन एफिलेशन डाटा" में विभिन्न प्रकार की सूचनाएं (संकाय सदस्यों के नाम, योग्यता, पद, वेतन एवं उपकरण आदि की सूचना) मिथ्या या असत्य प्रस्तुत की जाती है। जिसके कारण सम्बद्धता स्वीकृत किये जाने संबंधी निर्णय लिये जाने में कठिनाई आती है। निरीक्षण बोर्ड द्वारा इन घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए प्रत्येक गलत सूचना के लिए 25,000/– की शास्ति प्रस्तावित की गई है। प्रकरण माननीय सदस्यों के समक्ष अवलोकनार्थ एवं विचारार्थ पृष्ठ संख्या 44 पर प्रस्तुत किया गया।

समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गई।

वि.स.क्र. 8.11 : **छात्रावास किराये में वृद्धि के संबंध में।** **(निदेशक यू.सी.ई.)**

वर्तमान में छात्रावास में रहने वाले छात्रों से 40/– रू. प्रतिमाह की दर से किराया वसूल किया जा रहा है जो काफी कम है। उपर्युक्त दरें लगभग 20 वर्ष से अधिक समय से प्रचलित है, प्राप्त किराये से छात्रावास के रख–रखाव सही प्रकार से नहीं हो पा रहा है। राज्य सरकार द्वारा गठित त्रिस्तरीय समिति द्वारा भी आलोच्य दरों में समयबद्ध वृद्धि किये जाने के निर्देश दिये गये है। अतः इस किराये को रू. 100/– प्रतिमाह किया जाना प्रस्तावित है।

प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

प्रस्ताव का अवलोकन कर छात्रावास किराये की दर आगामी शैक्षणिक सत्र 2013–14 से 100/– प्रति माह करने की सहमति व्यक्त की गई।

वि.स.क्र. 8.12 : **एम.टेक. नेनो टेक्नोलोजी में Teaching assistantship उपलब्ध कराये जाने बाबत।** **(निदेशक यू.सी.ई.)**

विश्वविद्यालय के कार्यालय आदेश 3861–78 दिनांक 08.07.2009 द्वारा विश्वविद्यालय से विभिन्न विभागों में एम.टेक. करने वाले छात्रों को (राशि रू. 7000/– GAT Scholar एवं रू. 6000/– Non GAT Scholar) Teaching assistantship दिये जाने के आदेश जारी किये गये है क्योंकि अब राज्य सरकार के निर्देशानुसार विश्वविवद्यालय द्वारा द्वारा नेनो टेक्नोलोजी में भी एम.टेक. प्रारम्भ की जा चुकी है। अतः शैक्षणिक सत्र 2012–13 से उक्त आदेश के अनुरूप ही (नेनो टेक्नोलोजी एम.टेक. पाठ्यक्रम में) Teaching assistantship दिया जाना प्रस्तावित है।

प्रस्ताव समिति के समक्ष अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया।

प्रस्ताव का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया।

वि.स.क्र. 8.13 : **बी.टेक. अध्यापन हेतु गेस्ट फेकल्टी के मानदेय में वृद्धि के संबंध में।** **(निदेशक यू.सी.ई.)**

संघटक महाविद्यालय में विभिन्न संकायों में पूर्व में B.Tech. हेतु गेस्ट फेकल्टी हेतु नियुक्त किये जाने वाले व्याख्याताओं को रू. 200/– प्रति घंटे की दर से मानदेय स्वीकृत है। यह दर गत 10 वर्षो से दी जा रही है एवं वर्तमान में इसे निम्नानुसार पारिश्रमिक/मानदेय की दरें स्वीकृत किया जाना प्रस्तावित है :–

(1) रू. 400/– प्रति (कालांश) एवं रू. 300/– प्रति कालांश (प्रयोगशाला हेतु)

अथवा

(2) (i) समेकित मानदेय रू. 15,600/– प्रतिमाह (B.Tech. योग्यता वाले के लिए)

(ii) रू. 21,600/– प्रतिमाह (एम.टेक. योग्यता वाले के लिए)

(iii) रू. 25000/– प्रतिमाह (पी.एच.डी योग्यता वालो हेतु)

(iv) रू. 1000/– प्रति कालांश अधिकतम 4000/– रू. प्रतिदिन (विशेषज्ञ व्याख्यान हेतु)

प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया।

समिति द्वारा प्रस्ताव पर विचार विमर्श उपरांत गेस्ट फेकल्टी हेतु प्रति कालांश एवं समेकित मानदेय की प्रस्तावित दरों पर सहमति व्यक्त की गई तथा बिन्दु क्रमांक 2(iv) में वर्णित दरों पर मानदेय केवल एरोनॉटिकल व पैट्रोलियम इन्जिनियरिंग के लिए दिये जाने की स्वीकृति दी गई।

वि.स.क्र. 8.14 : TEQIP Project **हेतु चार मदों/कोष निर्माण के संबंध में। (निदेशक यू.सी.ई.)**

भारत सरकार द्वारा प्रत्यायोजित TEQIP Phase II हेतु निर्धारित मानदंडों के अनुसार तकनीकी शिक्षा विभाग के निर्देशों के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के वार्षिक आवर्ती खर्चों के 0.5 प्रतिशत की दर से निम्नांकित चार मदों/कोष का निर्माणं किया जाना है :–

1 Corpurs fund
2 Faculty development fund
3 Equipment replacement fund
4 Maintenance fund

राज्य सरकार के निर्देशानुसार उक्त फंडों के निर्माण की स्वीकृति माननीय कुलपति द्वारा पूर्व में जारी कर दी गई थी जिसके अनुसार बैंक खाते खोलने की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। अतः प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

प्रस्ताव का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया।

वि.स.क्र. 8.15

विश्वविद्यालय द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार परीक्षार्थियों मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाएं दिखाने का निर्णय लिया जा चुका है एवं तदनुसार छात्रों को उत्तर पुस्तिकायें दिखाई जा रही है। वर्तमान में विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त संविदा एजेंसी को आवंटित कार्य में उक्त आइटम सम्मिलित नहीं है। अतः आलोच्य उत्तर पुस्तिकाएं दिखाने की व्यवस्था सबंधी कार्य हेतु रू. 20/– प्रति उत्तर पुस्तिका, न्यूनतम 5000/– रू. प्रति सेमेस्टर (उत्तर पुस्तिकाओं के लिए प्राप्त फीस का 50 प्रतिशत तक की सीमा में (प्रति सेमेस्टर) भुगतान किये जाने के आदेश माननीय कुलपति महोदय की स्वीकृति से परीक्षा नियंत्रक द्वारा कार्यालय आदेश क्रमांक F(23)Leagl/RTUExam/11-12/849-53 दिनांक 13.06.2012 द्वारा जारी किये गये है जो पृष्ठ संख्या 50 पर अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया गया।

अतः राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 12(6) के अन्तर्गत माननीय कुलपति महोदय की आज्ञा से नियत पारिश्रमिक/मानदेय की दरें समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

समिति द्वारा चर्चा के उपरांत उच्च क्रय समिति की अभिशंषानुसार संविदा एजेंसी को आवंटित समान प्रकृति के कार्य की अनुमोदित दरों एवं अतिरिक्त कार्य को ध्यान में रखते हुए सेवा प्रदाता से पुनः वार्ता कर दरें निर्धारित करने हेतु निर्देशित किया गया तथा सेवा प्रदाता को दी जाने वाली न्यूनतम राशि की शर्त हटाने के निर्देश प्रदान किये गये।

वि.स.क्र. 8.16

विश्वविद्यालय के परीक्षा नियन्त्रक द्वारा प्रश्न पत्रों की सुरक्षा एवं वितरण में लिए लगे हुए कार्मिकों को देय पारिश्रमिक/मानदेय के संबंध में (राजकीय इन्जिनियरिंग कॉलेज अजमेर, बीकानेर भरतपुर व भीलवाडा के स्टाफ हेतु) (पत्र क्रमांक F(27)/3.69/Secy./RTUExam/2012/3156-58 दिनांक 06.06.2012 से निम्नांकित दरें निर्धारित की गई है:–

SNo.	Particulars	Honoriaium (Rs.) per day
1	Centre Superintendent/Principal/Incharge	600/-
2	Examination Incharge	500/-
3	Office Staff	300/-
4	Peon	200/-

अतः राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 12(6) के अन्तर्गत माननीय कुलपति महोदय की आज्ञा से नियत पारिश्रमिक/मानदेय की दरें समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

समिति द्वारा दरों का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया।

वि.स.क्र. 8.17

परीक्षा नियन्त्रक द्वारा प्रश्न पत्रों की सुरक्षा एवं वितरण कार्य में नियुक्त कार्मिकों को देय पारिश्रमिक/मानदेय के संबंध में (तकनीकी शिक्षा भवन, जयपुर के कार्मिकों हेतु) (पत्र क्रमांक F(27)/3.69/Secy./RTUExam/2012/3153-55 दिनांक 06.06.2012 से निम्नांकित आदेश जारी किये गये है:—

SNo.	Particulars	Honoriaium (Rs.) per day
1	Observer	1000/-
2	Teaching faculty	500/-
3	Office Staff	300/-
4	Peon	200/-
5	Chowkidar/Guard	As per security agency

अतः राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 12(6) के अन्तर्गत माननीय कुलपति महोदय की आज्ञा से नियत पारिश्रमिक/मानदेय की दरें समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

समिति द्वारा दरों का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया।

वि.स.क्र. 8.18

परीक्षा नियन्त्रक द्वारा प्रश्न पत्रों की अभिरक्षा के संबंध में (पंजाब नेशनल बैंक की विभिन्न शाखाओं में सील्ड कवर्स के रूप में प्रश्न पत्र रखने हेतु) (आदेश क्रमांक F(27)/3.69/Secy./RTUExam/2012/3150-52 दिनांक 06. 06.2012 से निम्नांकित दरें निर्धारित की गई है:—

SNo.	Particulars	Charges Rs.
1	Safe deposit of sealed covers	1000/- per cover per annum or part thereof
2	Safe deposit of sealed boxes size 30x30 x30 cms	5000/- per box per annum or part thereof

23

अतः राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 12(6) के अन्तर्गत माननीय कुलपति महोदय की आज्ञा से नियत पारिश्रमिक/मानदेय की दरें समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

समिति द्वारा दरों का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया तथा आगामी परीक्षा के प्रश्न पत्रों की सुरक्षा हेतु अन्य बैंको से भी दरें प्राप्त कर नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किये गये।

वि.स.क्र. 8.19 छात्र हित के मध्यनजर परीक्षा परिणाम शीघ्र घोषित करने हेतु कोटा शहर के अतिरिक्त परीक्षा केन्द्रों पर केन्द्रीयकृत मूल्यांकन हेतु विभिन्न कार्मिकों को देय पारिश्रमिक/मानदेय/परीक्षा केन्द्र चार्जेज के भुगतान के संबंध में। (पत्र क्रमांक F(27)/3.69/Secy./RTUExam/2012/3136-38 दिनांक 06.06.2012 से निम्नांकित दरें निर्धारित की गई है :-

सेंटर चार्जेज :- रू. 10,000/- प्रतिमाह (राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर)

(Rate Rs./day)

SNo.	Particulars	Honoriaium (Rs.)	Conveyance Charges
1	Centre Superintendent	400.00	200.00
2	Coordinator	300.00	200.00
3	Faculty members	250.00	150.00
4	Accounts person, office staff	200.00	100.00
5	Peon	150.00	50.00
6	Sweeper, Electrician, Chowkidar	100.00	50.00

अतः राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 12(6) के अन्तर्गत माननीय कुलपति महोदय की आज्ञा से नियत पारिश्रमिक/मानदेय की दरें समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

समिति द्वारा दरों का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया।

वि.स.क्र. 8.20 परीक्षा नियन्त्रक द्वारा कोटा शहर के अतिरिक्त परीक्षा केन्द्रों पर केन्द्रीयकृत मूल्यांकन हेतु नियुक्त वीक्षकों को देय मानदेय के भुगतान के संबंध में। (पत्र क्रमांक F(27)/3.69/Secy./RTUExam/2012/3139- 41 दिनांक 06.06.2012 से निम्नांकित दरें निर्धारित की गई है:-

"Hon'ble Vice Chanellor is pleased to approve the Honorarium of Rs. 750/- per day and conveyance charges Rs. 250/- per day to the observers appointed for carrying out Central Evaluation work at various evaluation centres of the University other than Kota."

अतः राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 12(6) के अन्तर्गत माननीय कुलपति महोदय की आज्ञा से नियत पारिश्रमिक/मानदेय की दरें समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

समिति द्वारा दरों का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया।

वि.स.क्र. 8.21 : प्रबंध मंडल के सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में।

विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 22 के अन्तर्गत प्रबंध मंडल के गठन एवं संरचना का प्रावधान है जिसमें वित्त अधिकारी एवं परीक्षा नियंत्रक प्रबंध मंडल के सदस्यों की सूची में सम्मिलित नहीं है जबकि प्रबंध मंडल के समक्ष रखे जाने वाले प्रकरणों में अधिकांशतः प्रकरण वित्त एवं परीक्षा अनुभाग से संबंधित होते है। विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 15(i) के अनुसार वित्त अधिकारी को बजट तैयार करने एवं कुलपति के माध्यम से बोर्ड के समक्ष रखने का दायित्व परिनिर्धारित किया गया है लेकिन प्रबंध मंडल के सदस्य न होने के कारण वित्त एवं लेखा संबंधी प्रकरणों की प्रबंध मंडल की बैठकों में सम्यक रूप से समीक्षा/विवेचन कर समुचित निर्णय लेने में असुविधा हो रही है। साथ ही परीक्षा संबंधी प्रकरणों परीक्षा नियन्त्रक की उपस्थिति से प्रबंध मंडल के सदस्यों को विचार विमर्श उपरांत समुचित निर्णय लेने में सुविधा रहेगी।

उल्लेखनीय है कि अधिनियम की धारा 49(3) में किसी भी प्राधिकारी के सदस्य हकदार होने की स्थिति में मामला कुलाधिपति को निर्देशित किये जाने का प्रावधान है।

अतः प्रकरण की महत्ता/आवश्यकता के मध्यनजर वित्त अधिकारी एवं परीक्षा नियंत्रक को विश्वविद्यालय हित में अधिनियम की धारा 49(3) के अंतर्गत प्रबंध मंडल की सदस्य सूची में सम्मिलित कराया जाना प्रस्तावित है तथा वांछित संशोधन होने तक उक्त वर्णित अधिकारियों को प्रबंध मंडल की बैठक में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में नामित किया जाना अपेक्षित है।
प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

25

समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव प्रबंध मंडल में सदस्य नियुक्ति से संबंधित होने के कारण प्रबंध मंडल में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

वि.स.क्र. 8.22 : **परीक्षा अनुभाग के गोपनीयता संबंधी कार्यो (प्रश्न पत्र मुद्रण आदि) पर उपगत व्यय के समायोजन के संबंध में। (परीक्षा विभाग)**

विश्वविद्यालय की स्थापना के उपरांत परीक्षा विभाग द्वारा आयोजित/संचालित विभिन्न पाठ्यक्रम परीक्षाओं के लिए प्रश्न पत्रों के मुद्रण एवं उपाधियों का मुद्रण गोपनीयता बनाये रखने के प्रयोजनार्थ, माननीय कुलपति के निर्देशानुसार परीक्षा नियंत्रक द्वारा अपने स्तर पर विभिन्न मुद्रणशालाओं में कराया जाता है तथा उक्त कार्य पर उपगत व्यय के "उपयोगिता प्रमाण पत्र" जारी कर अग्रिम राशि के समायोजन हेतु लेखाशाखा को भिजवाये जाते है।

राज्य सरकार द्वारा पंत्राक एफ 3(2)त.शि./2009 दिनांक 25.04.2011 पृष्ठ संख्या 56 से वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए वाउचर्स की अपेक्षा किये बगैर उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर अग्रिम के समायोजन के निर्देश दिये गये है लेकिन आलोच्य कार्य आवर्ती प्रकृति का होने एवं वित्तीय वर्ष 2011–12 के पूर्व एवं पश्चातवर्ती अवधि के अग्रिमों के समायोजन के संबंध में स्पष्ट निर्देश न होने से अग्रिम के समायोजन में कठिनाई उत्पन्न हो रही है। महालेखाकार द्वारा विश्वविद्यालय के भारी संख्या में अग्रिमों के समायोजन लंबित होने पर गंभीर आपत्ति व्यक्त की गई है।
अतः राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2011–12 के अग्रिम के समायोजन के संबंध में जारी मार्गदर्शन के परिपेक्ष्य में आलोच्य अवधि के पूर्व एवं पश्चातवर्ती अवधि के परीक्षा प्रश्न पत्र मुद्रण आदि (गोपनीय कार्य) हेतु जारी अग्रिमों का समायोजन, उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर (प्रश्न पत्रों की संख्या एवं दरों के विवरण सहित) किये जाने की स्वीकृति अपेक्षित है।

प्रकरण समिति के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार विमर्श के बाद आगामी एवं पूर्ववर्ती वर्षो के लिए गोपनीय कार्यो पर उपगत व्यय के समायोजन हेतु वर्ष 2011–12 के अनुरूप राज्य सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त करने के निर्देश प्रदान किये गये।

वि.स.क्र. 8.23 : **उपकुलसचिव/सहायक कुलसचिव भर्ती एवं सी.ए.एस. चयन हेतु आयोजित साक्षात्कार के लिए विशेषज्ञों को सीटिंग अलाउंस/मानदेय के संबंध में।**

राज्य सरकार के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय द्वारा उपकुलसचिव, सहायक कुलसचिव की नियुक्ति एवं सी.ए.एस. चयन हेतु आयोजित साक्षात्कार के लिए विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया था। जिनको अन्य विश्वविद्यालयों की आलोच्य मानदेय की स्वीकृत दरों को मध्यनजर रखते हुये 2000/– प्रति सिटिंग/प्रति विशेषज्ञ को भुगतान किया गया था।

प्रकरण समिति के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

समिति द्वारा दरों का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया।

कुलपति एवं अध्यक्ष
वित्त समिति

वित्त अधिकारी एवं सदस्य सचिव
वित्त समिति